


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 7, 2013/आश्विन 15, 1935

No. 259]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 7, 2013/ASVINA 15, 1935

विद्युत मंत्रालय

(केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2013

फा.सं. 12/एक्स/एसटीडी (सीओएनएन)जीएम/सीईए.—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक), विनियम, 2010 का प्रारूप विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 3 के साथ पठित और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 177 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षानुसार तारीख 4 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित किया गया था;

अतः अब, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजन के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2013 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को जो वितरित उत्पादन संसाधन पहले से ही विद्युत प्रणाली से जुड़े हुए हैं उनके संबंध में, उत्पादन कंपनी और उस विद्युत प्रणाली का अनुज्ञप्तिधारी जिससे कि उत्पादन केन्द्र जुड़ा हुआ है, परस्पर विचार विमर्श करेंगे और इस विनियम के प्रभावी होने के एक सौ अस्सी दिन के भीतर उन उपायों पर सहमत होंगे जिनके द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तकनीकी मानकों को पूरा करने के लिए किए जा सकते हैं।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में,

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36) अभिप्रेत है;

